

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 1756/2021.लखनऊ:दि0::नवम्बर, 02 ,2021

--:संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक-1754/2021 दिनांक 02.11.2021 द्वारा लखनऊ में माह-दिसम्बर 2021 का युगल पीठ कार्यक्रम परिचालित किया गया।

कतिपय अपरिहार्य कारणवश पूर्व निर्गत युगल पीठ कार्यक्रम में मेरठ में गठित युगल पीठ की तिथियों में निम्न संशोधन किया जाता है:-

क्रम सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
01	02	03	04	05	
1	पीठ-1 व 2 मेरठ	पीठ-1 मेरठ	दिनांक 06.12.21 से 08.12.21 तक	पीठ-अलीगढ़ पीठ-2 मेरठ	न्यायिक विभागीय

पूर्व निर्गत युगल पीठ कार्यक्रम दिनांक 02.11.2021 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

ह0/02.11.2021

(विनय सिंह)

एच0जे0एस0

प्र0अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/ दो-1(32)/ युगल पीठ/ 1756/2021.तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 व 2 मेरठ/अलीगढ़।
2. मुंसरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।